[17/3/2023]

प्रश्न सं. [क्र. 1468]

परिशिष्ट -1-

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना कार्यान्वयन ईकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेन्दुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011
फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com

सत्यमेव जयते

भा रा रा प्रा
NHAI

ई-मेल द्वारा

भा0रा0रा0प्रा0 / प0का0ई0 / ग्वा. / 2022-23 / 3843

दिनांक: 20.02.2023

प्रति,

श्रीमान मुख्य अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग
भोपाल (म.प्र.)

विषयः विधानसभा अतारांकित प्रश्न सं. 1468 द्वारा मान. श्री अजब सिंह कुशवाह, विधायक, अटल एक्सप्रेसवे की स्वीकृती के संबंध में।

संदर्भः आपका ई-मेल दिनांक 20.02.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश विधानसभा अतारांकित प्रश्न सं. 1468 के माध्यम से चाही गई जानकारी निम्नानुसार है:-

(क) सुमावली विधानसभा क्षेत्रांतर्गत अटल प्रोग्रेसवे के संरेखण से प्रभावित भूमि हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(A) के प्रकाशन के उपरांत सर्वे की कार्यवाही की गई है।

(ख) चम्बल नदी के किनारे पूर्व स्वीकृती संरेखण पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बीहड़ों के विस्थापन के संबंध में आपत्ति दर्ज कराने के उपरांत अटल प्रोग्रेसवे के संरेखण में बदलाव किया गया।

(ग) अटल प्रोग्रेसवे के संरेखण से म.प्र. राज्य के अंतर्गत प्रभावित भूमि हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(A) का प्रकाशन किया जा चुका है एवं 3(D) के प्रकाशन की कार्यवाही प्रक्रियारत है। विदित हो कि, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अनुसार हितग्राहियों को उचित मुआवजा प्रदान किया जायेगा। अतएव इस स्तर पर सर्वे कार्य रोका जाना उचित नही है, क्योंकि उक्त परियोजना भारत सरकार एवं म.प्र. शासन की महत्तवकांक्षी परियोजना है एवं परियोजना के निर्माण से इससे लगने वाले ग्रामों का तीव्र गति से विकास हो सकेगा।

सूचनार्थ प्रेषित।

20/2/2023
(आर.सी.गुप्ता)
परियोजना निदेशक (तक.)

प्रतिलिपिः

1. श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी, भा.रा.रा.प्रा., क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी, भा.रा.रा.प्रा., क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्रीमान संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम, ग्वालियर (chambal-dm@mp.gov.on) की ओर आपके पत्र क्र. 3206 दिनांक 20.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय